

कार्यालय – प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

निकट विकास भवन, कोषागार, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर। फोन व फॅक्स-05944 250060, ई-मेल dfotc-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं० 127/10 / 12-1, रुद्रपुर

दिनांक 19/7/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 है० वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online No. FP//UK/DISP/114282 /2020)।

संदर्भ:- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का पत्र 8980/जीएमसी/एल-1/भूमि दिनांक 11.05.2021 एवं ई०डी०एस० दिनांक 12.04.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयक ई०डी०एस० दिनांक 02.03.2021 में लगायी गयी आपत्तियों में प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के पत्रांक 8980/जीएमसी/एल-1/भूमि दिनांक 11.05.2021 द्वारा तथा इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना सेवा में सादर प्रेषित है-

For Point No. 1,2,4,8- It is not clear Whether proposal submitted for regularization or new construction. State Govt. may submit clarification in this regard.	There is no violation in this case since its a fresh proposal for new construction. प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-1
For Point No.3- Kindly upload the correct SIR at relevant place in part II, which is not found uploaded.	प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-2
For Point No.7- Kindly upload the Tree enumeration list and CA scheme authenticated by DFO as additional information individually by name in remark column.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध अभिलेख ऑन लाईन अपलोड किये गये है तथा प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-3


<p>For Point No. 9- Kindly upload the certificate regarding the muck disposal, along with the quantitative estimation of the amount of muck generated and where it will be used.</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the proposed building. Hence no Muck disposal plan is required.</p>
<p>For Point No. 10- Kindly submit the copy of all the alternate lay out plan along with no. and list of trees affected in each plan.</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि The required layout map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in form-15 of the proposal. संलग्नक-4</p>

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


 भवदीया,
 (डॉ० अभिलाषा सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

सं० १२२ शि० / १२-१... उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रार्चाय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।


 (डॉ० अभिलाषा सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

246

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल)

दूरभाष: 05946-255255, फ़ैक्स-05946-282578

ईमेल- principal.gmchld@gmail.com

पत्रांक :- 8980 / जीएमसी / एल-1 / भूमि

हल्द्वानी, दिनांक 11 मई, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
विकास भवन के पीछे, रूद्रपुर, जिला-उधम सिंह नगर।

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी द्वारा 4.25 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव संख्या- FP/UK/DISP/114282/2020 पर नोडल कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति।

संदर्भ:- एम०ओ०ई०एफ० के पत्रांक-8बी.यू.सी.पी./09/21/2021/एफ०सी०/2373, दिनांकित 26 फरवरी 2021 एवं आपके पत्रांक 1398/12-1, दिनांकित 22.03.2021 पर ~~नोडल कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2021 को प्रेषित आपत्ति।~~

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से 4.25 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/DISP/114282/2020 में एम०ओ०ई०एफ० द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण ऑनलाईन प्रेषित किया गया था जिस पर नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति लगायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है-

- 1- **For Point No- 1,2,4,8** There is no violation in this case since it's a fresh proposal for new construction. Hence the correct informations are to be filled as per non violation from your end.
- 2- **For Point No- 3** The correct SIR is to be uploaded from your end.
- 3- **For Point No- 7** For duly authenticated tree enumeration list and CA scheme by the DFO Pithoragarh, the letter No- 8962 dated 10-05-2021 have been sent. Kindly pursue him from your end for soon reply.
- 4- **For Point No- 9** The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the proposed buildings. Hence no Muck disposal plan is required.
- 5- **For Point No- 10** The required layout-map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in form-15 of the proposal.

उक्त बिन्दु संख्या-7 की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त होते ही सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी जायेगी। उक्तानुसार अवगत होते हुए 4.25 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगी।

भवदीय,

(डॉ० चन्द्र प्रकाश)
प्राचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।

सं.- 8980 / (1) L-1/24 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्द्र नगर, देहरादून।

2/000-1-1

- 5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : the working plan of Tarai Central Forest Division for the period of 2015-16 to 2024-25
- 6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : area not vulnerable to erosion
- 7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0
- 8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
 - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : macaca mulatta, bosellaphus tragocamelus, axis axis, sus scrofa, etc
 - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
 - (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: in case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
 - (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
 - (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No
- 9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :
 - (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No
- 10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :
 - (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes
- 11. Details of violation(s), if any, committed
 - (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No
- 12. Whether work in violation is still in progress(Yes/No) : No
- 13. Details of compensatory afforestation scheme :
 - (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(In ha.)	khasra	KHL file	Present Owner file
1	Pithoragarh	Rantoli	8.5	2288		

- (ii) Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: -
- (iii) Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A. : -

प्रपत्र-5**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF****(For the forest land to be diverted under FCA)**

- 5.1 A proposal has been received by this office from Government Medical College Haldwani, District Nainital Uttarkhand (Department of Medical Education Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 4.25 hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of State Cancer Institute & associated buildings at Government Medical College Haldwani Distt Nainital .The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated:- ..02/01/2021.
- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 4.25 ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **YES**
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **NIL**
- 5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **NIL**
- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **YES**
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **NO**
- Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place:-.....HALDWANI.....

Date.....02/01/2021.....

(Signature)

Name.....प्रभाजीय वनाधिकारी,
Designation सराई.केन्द्रीय वन प्रभाग,
Office Seal ..उन्मुपूर, कथमसिंहनगर

N.B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted. out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए राज्य कैंसर संस्थान तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हे० वन भूमि का हस्तांतरण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के रमतोली में 8.5 हे० सिविल वन भूमि रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1100

प्रथम चरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	हे०	147	हे०	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	हे०	887	हे०	532.2
3	लैंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़ से	0.4	हे०	6608.68	हे०	2643.472
ब	लैंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हे०	2202.5	हे०	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हे०	11700	हे०	11700
5	कटूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	11.14	प्रति हे०	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 200घन मी०	90	घन मी०	478	प्रति घन	43020
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हे०	11.14	हे०	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	हे०	737	हे०	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	हे०	8.7	हे०	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1	हे०	470	हे०	470
	योग प्रथम चरण					90601.672

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5
3	पौध दुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गड्डे	3.13	गड्डे	3443
5	कटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी०	1.05		630

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

6	निराई गुडाई व मल्लिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गड्डे	2.3	गड्डे	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है०	0.32	है०	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	7235	है०	7235
9	कन्दूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000		11.14		11140
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्य वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्य वर्ष में 2-3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कन्दूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र०मी०	11.14	प्रति र०मी०	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	7377.6
	योग तृतीय चरण					30344.6

प्रभागीय जल अधिकारी
पियोरामगढ़ वन प्रभाग
पियोरामगढ़

चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	4500		18000
	योग चतुर्थ चरण					29827

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	योग पंचम चरण					11827

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350

प्रभागीय वन अधिकारी
 पिथौरागढ़ वन प्रभाग
 पिथौरागढ़

	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500	प्रति	22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	6916.5
	योग षष्ठम चरण					41243.5

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	5	संख्या	4500	प्रति	22500
	योग सप्तम चरण					34327

अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400

प्रभागीय वन अधिकारी
पियाडगढ़ वन प्रभाग
* पिथौरागढ़

3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग अष्टम चरण					22201.75

नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग नवम् चरण					22201.75

दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	योग दशम चरण					11827
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)					337185.72
					या	337184.00

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

337184 रु०

योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 4.25x2

= 8.5 है०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 8.5 है० X 337184 = 28,66,064/-

ब्रह्मगिरि वन अधिकारी
पिप्लो (पुष्प) वन प्रभाग
विशोराबाद

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल क विधानसभा हल्द्वानी में तल्ली हल्द्वानी प्लाट संख्या 4 में स्वामी राम कैसर अनुसंधान की स्थापना हेतु निर्माण कार्य।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक.....को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गयी।

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित वृक्ष

क्र0सं0	वन/कम्पाटमेंट का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग												कुल वृक्ष	आयतन (घ0 मी0)	वृक्षों का मूल्य		
				10-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-80				80-90	75-80
1	टाण्डा वन ब्लाक प्लाट संख्या 150	सागौन हरा	टेक्टोना ग्रहिस	4		44		28		14		3		0		1		95	67.704	2207506.00
2		सागौन सूखा	टेक्टोना गडिस	0		0		1		0		0		0		0		1	0.639	15716.00
3		कन्पू	होलोपटलिया इन्डिफिकातिव	0		0		0		0		0		1		0		1	2.549	16528.00
4		बकैन	भेलिया अजोडाराक	0		0		0		1		0		0		0		1	1.104	1526.00
5		शीशम	जालबरजिया सिस्	0		1		2		0		2		3		0		8	12.768	459096.00
6		जकरैण्डा	जकरैण्डा निमोसीपोलिया	0		0		0		1		0		0		0		1	1.104	1526.00
क्र0सं0		प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80				
01		यूकैलिप्टस हरा	यूकैलिप्टस हाइब्रिड	3	19	47	25	42	33	37	14	07	02	05	01	01		236	273.772	814842.00
02		यूकैलिप्टस सूखा	यूकैलिप्टस हाइब्रिड	0	01	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0		4	2.563	6047.00
कुल योग																		347	-	2701898.00

(Signature)
परिचालक

(Signature)
प्रभारिता वन अधिकारी
नसाई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर, उधमसिंह नगर